भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या: 384
गुरुवार, 27 मार्च, 2025/6 चैत्र, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

'उड़ान' योजना के तहत किफायती विमान यात्रा

***384. श्री राजकुमार रोत:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि 'उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)' योजना से आम नागरिकों को किफायती विमान यात्रा उपलब्ध होती है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा 'उड़ान' योजना के तहत विमान कंपनियों द्वारा टिकट के मूल्य का निर्धारण किए जाने पर नियंत्रण के क्या नियम हैं;
(ग) क्या विमान कंपनियां टिकट बुकिंग के समय के आधार पर एक ही गंतव्य के लिए अलग-अलग किराया वसूलती हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन नियमों के तहत टिकट मूल्य निर्धारित किए जा रहे हैं;
(ङ) क्या सरकार का उक्त योजना के तहत जनता को रियायती दरों पर टिकट उपलब्ध कराने के लिए नियम बनाने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे नियम बनाने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (च): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"'उड़ान' योजना के तहत किफायती विमान यात्रा" के संबंध में श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए दिनांक 27.03.2025 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 384 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 21-10-2016 को क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य हवाई यात्रा को आम जनता के लिए किफायती बना कर देश के छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना है। आरसीएस-उड़ान योजना के माध्यम से 2.97 लाख से अधिक आरसीएस उड़ानों में 149 लाख से अधिक घरेलू यात्री यात्रा कर चुके हैं।

(ख) से (च): यह योजना क्षेत्रीय मार्गों पर एयरलाइन ऑपरेटरों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जिसमें शामिल हैं: एयरलाइन परिचालन लागत को कम करने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा ऑपरेटरों द्वारा रियायतें और ऐसे मार्गों पर परिचालन लागत और अपेक्षित राजस्व के बीच अंतर को पाटने के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) भी, ताकि योजना के तहत हवाई यात्रा को किफायती बनाया जा सके।

एयरलाइनों को आरसीएस उड़ानों पर लगभग 50% सीटों को आरसीएस सीटों (40 सीटों तक सीमित) के रूप में आरक्षित करना होता है। आरसीएस सीटों पर हवाई किराया, जिस पर चयनित एयरलाइन ऑपरेटरों (एसएओ) को 3 साल की अवधि के लिए वीजीएफ प्रदान किया जाता है, रियायती दर पर सीमित होता है और हर तिमाही में अनुक्रमित किया जाता है। शेष सीटें एयरलाइनों द्वारा वाणिज्यिक किराए पर गैर-आरसीएस सीटों के रूप में बेची जाती हैं।

सरकार, भारतीय अथवा विदेशी एयरलाइनों द्वारा निर्धारित किराए को विनियमित नहीं करती है। किसी भी मार्ग पर किराया, अन्य बातों के साथ-साथ, सीजनेलिटी, छुट्टियों और त्योहारों, विमानन टरबाइन ईंधन की लागत, प्रतिस्पर्धा और ऐसे ही अन्य कारकों पर निर्भर करता है। एयरलाइन कीमत निर्धारण कई स्तरों {बकेट अथवा आरबीडी} पर चलता है जो वैश्विक स्तर पर अपनाई जा रही परिपाटी के अनुरूप है और गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के कारण, पहले खरीदे गए टिकट, यात्रा की तारीख के नजदीक खरीदे गए टिकटों की तुलना में बहुत सस्ते होते हैं। वायुयान नियम, 1937 के नियम 135(1) के प्रावधानों के तहत, एयरलाइनें परिचालन लागत, सेवाओं की विशिष्टता, आमतौर पर प्रचलित टैरिफ आदि सहित सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट (टीएमयू) यह सुनिश्चित करती है कि एयरलाइनों द्वारा वसूले जा रहे किराए एयरलाइनों द्वारा स्थापित टैरिफ के अनुसार हैं।

*****